# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
## जिला चित्तौडगढ
### पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/247/2015 वाद  दायर दिनांक 09.10.2015

**उनवान**

1. हीरालाल पिता उदयराम जाति ब्राह्मण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।

—वादी

बनाम

1. भेरूलाल पिता उदयराम मुतबन्ना गुलाब जाति ब्राह्मण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
2. रतनलाल पिता बद्रीलाल जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
3. गोपीबाई पत्नि बद्रीलाल जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
4. मोहनी पुत्री स्व0 बद्रीलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
5. राधा बाई पुत्री स्व0 बद्रीलाल जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
6. भूरी बाई बेवा स्व. मांगीलाल जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
7. गोपाल पिता स्व. मांगीलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
8. राजु पिता स्व. मांगीलाल जाति ब्राह्मण आयु नाबालिग बविलायत माता भूरी बाई मांगीलाल जाति ब्राह्मण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
9. योगिता पुत्री स्व. मांगीलाल जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
10. रेखा देवी पुत्री स्व. मांगीलाल जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
11. शान्तिलाल पिता जगन्नाथ जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज) हाल रतलाम मध्यप्रदेश।
12. रमेश चन्द्र पिता जगन्नाथ जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी हाल रतलाम मध्यप्रदेश हाल मुकाम बी/14, प्रभु कृपानगर, स्टेला नये पेट्रोल पम्प के सामने, बसई रोड़, मुम्बई वेस्ट महाराष्ट्र।
13. भगवान लाल पिता छगना जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ।
14. राधेश्याम पिता छगना जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
15. सोसर बेवा छगना जाति ब्राहमण सुखवाल आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16. रतनलाल पिता केशुराम दर्जी आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
17. किशनलाल पिता केशुराम दर्जी आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
18. मिठ्ठुलाल पिता मगनीराम दर्जी आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
19. सोहनी पुत्री मगनीराम दर्जी आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
20. मु0 नारायणी पुत्री मगनीराम दर्जी आयु वयस्क निवासी बनाकिया कला तहसील कपासन जिला चितौडगढ (राज)।
21. सरकार जरिये तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

| | |
|---|---|
| अधिवक्ता श्री कालू लाल स्वर्णकार | —वादी |
| एकतरफा | —प्रतिवादीगण |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>वाद पत्र अन्तर्गत 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट</u>

निर्णय दिनांकः 13.12.2023

## —:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि — यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के मुल पुरूष की कृषि भूमि सरहद ग्राम बनाकिया कलां तहसील कपासन तत्कालीन मेवाड रियासत कालिन ठिकाना भीण्डर के अन्तर्गत गांव में रही है  तथा पक्षकारान का पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया।

यह कि वाद पत्र में उल्लेखित सजरा मुल के वारिसान के नाम मेवाड रियासत कालीन साबिक बन्दोबस्ती रेकॉर्ड सम्वत् 2008 से 2010 वाले रेकॉर्ड निम्न संयुक्त परिवार की कृषि भूमि दर्ज रेकॉर्ड रही है विवरण निम्न प्रकार है जमाबन्दी संवंत् 2018—11 ग्राम बनाकिया कला ठिकाना भीण्डर खातेदार केला पिता घीसा ब्राह. सा. देह खसरा नम्बर 428 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 432 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1681 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1685 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2005 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2012 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा लगानी 8 रूपया 12 पैसा है। साक्ष्य में पर्चा खतौनी ठिकाना भीण्डर खास पेश है।

तहसील कपासन क्षेत्र की रियासत कालीन ठिकाने की पैमाईश में खतौनी संख्या 255 सम्वत 2012 से 15 की जमाबन्दी में किता 15 रकबा 17 बिघा 5 बिस्वा केला पिता घीसा ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम बनाकिया कला पेश है।

यह कि तहसील क्षेत्र कपासन में सम्पन्न नवीन बन्दोबस्ती रेकॉर्ड अनुसार निम्न प्रकार खाते का इन्द्राज कायम हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट—अ ग्राम बनाकिया कला खाता संख्या 313 संवत् 2068—71 के खसरा नम्बर 149, 150, 151, 1147, 1148, 1153, 1161, 3389, 3390, 3393, 3394, 3395, 3396, 3398, 3399, 1149 कुल किता 16 कुल रकबा 2.56 हैक्ट0 लगानी 60 रूपया 90 पैसा है।

परिशिष्ठ–ब ग्राम बनाकिया कला खाता संख्या 312 सम्वत 2068–71 के खसरा नम्बर 3401, 3424, 3428, 3441, 3442, 3443, 3464, 3705/1344 कुल किता 8 कुल रकबा 2.25 हैक्ट0 लगानी 4 रूपया 80 पैसा है।

उक्त वर्णित परिशिष्ठ अ, ब में वर्णित खातो में पक्षकारान के खातेदारी इन्द्राज की स्थिति इस प्रकार है कि परिशिष्ठ (अ) वाली भूमि किता 15 रकबा 2.56 हैक्ट0 भूमि वाले खाते में वर्तमान रेकॉर्ड से वादी का भेरूलाल के समेत 1/3 हिस्सा यानि 0.8503 हैक्ट0 इसी प्रकार परिशिष्ठ (ब) वाली कृषि भूमि किता 8 रकबा 2.25 हैक्ट0 में वादी, प्रतिवादी संख्या–1 का 1/2 हक हिस्सा, शेष प्रतिवादी संख्या –2 से लगायत 10 का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा हो अंकित रेकॉर्ड है।

परिशिष्ठ–(स) ग्राम बनाकिया कला खाता संख्या–271 सम्वत् 2068–71 के खाता संख्या 271 के आराजी नम्बर 1154 व 1155 कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्ट0 लगानी 08 पैसा, साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संलग्न है।

परिशिष्ठ–(द) ग्राम बनाकिया कला खाता संख्या 356 सम्वत् 2068–71 के खाता संख्या 356 के आराजी नम्बर 2793, 2794, 2795, 2826, 2827, 2828, 2829 कुल किता 7 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर है।

इस खाते में अंकित 1/3 हिस्सा संयुक्त अन्तरण से दर्जी परिवार के प्रतिवादी संख्या 16, 17, 18, 19, 20 को विक्रय कर देने एवं इस खाते की भूमि में सह कृषक दर्ज है शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 10 का दर्ज होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 10 का दर्ज होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खाते सह कृषक दर्ज हो रहे है। वादी के पिता उदयराम पिता केला का निहित 1/3 हिस्सा दर्ज है जो वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त नाम से खातेदारी रेकॉर्ड में अंकित हो रहे है जबकि प्रतिवादी संख्या–1 गुलाब का गोद पुत्र नशीन पुत्र होकर अलग से उनकी जायदाद का खातेदारी कृषक दर्ज है उसका नाम 1/3 हिस्सा उदयराम जी वाले हिस्से से विलोपित किया जाकर वादी को प्रतिवादी संख्या–2 से लगायत 20 तक के साथ हिस्सा 1/2 से कृषक दर्ज किया जावें।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या–3 में उल्लेखित कृषि भूमि की खातेदारी का वर्तमान इन्द्राज निम्न कारणों से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है विवरण निम्न प्रकार है:–

(अ) यह कि प्रतिवादी संख्या–1 जिसका वादी के साथ संयुक्त रूप से परिशिष्ठ अ. ब. वाली कृषि भूमि में सह कृषक दर्ज रेकॉर्ड अंकित चला आ रहा है। पारिवारिक सजरा अनुसार वह श्री गुलाब पिता श्री रूपा जी ब्राहम्ण के यहां गोद नशीन होकर स्व. गुलाब जी समस्त चल अचल सम्पतिया का मालिक जायदाद है। कृषि भूमि स्व. गुलाब जी वर्तमान रेकार्ड में भेरूलाल मुतबन्ना गुलाब दर्ज रेकार्ड है जबकि सजरानुसार वादी उदयराम पिता केला जी ब्राहम्ण निवासी बनाकिया कला ही एक मात्र वारिस होकर उनके हक हिस्से की कृषि भूमियों पर काबिज रहे है, उनकी मृत्यु के पश्चात वादी ही एक मात्र वारीस हो खातेदारी रहता है।

(ब) यह कि वादपत्र की चरण संख्या –03 में वर्णित परिशिष्ठ–(अ) वाली कृषि भूमि जो वाद के पक्षकारान के नाम का इन्द्राजात हक हिस्सेनुरूप वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है वह इन्द्राज सही नहीं है। भैरूलाल प्रतिवादी संख्या–1 का नाम रेकॉर्ड में वादी के साथ–साथ 1/3 हिस्से का 1/2 हिस्से में दर्ज किया हुआ वर्तमान में मौजूद है। उसे विलोपित करते हुये केवल वादी को स्व. उदयराम के वारिसान होने से 1/3 हक का तन्हा अन्य हिस्से[illegible] साथ सह कृषक घोषित किया जावे। इसी प्रकार सजरा में मृतक जगन्नाथ [illegible] जावे। इसी प्रकार सजरा में मृतक जगन्नाथ का नाम सह कृषक इसी खाते में 1[illegible] हक से गलत दर्ज रेकार्ड हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 उनके वारिसान है। स्व. जगन्[illegible] जी के रतलाम मध्यप्रदेश गोद चले जाने से विरासती हक से जगन्नाथ का ही कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। समस्त हिस्सा उदयराम के

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

वारिस के हक में समाहित वादी होने से स्वयं का 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा दर्ज जगन्नाथ के इन्द्राज दुरूस्ती वाला कुलिया 2/3 हक हिस्सा से संयुक्त खाते में होने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान कर जगन्नाथ का समस्त हिस्सा वादी के नाम दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

(स) यह कि इसी प्रकार परिशिष्ठ (ब) वाली कृषि भूमि किता 8 रकबा 2.25 हैक्ट0 वाले खातेदारान में 1/2 हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 का संयुक्त रूप से दर्ज हो रहा है। शेष 1/2 हिस्सा बद्रीलाल (सह कृषक) के वारिसान हो दर्ज मौजूद है। उसी माफिक इस खाते में भी दुरूस्तगी हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी भेरूलाल का नाम राजस्व रेकार्ड से गोद गुलाब से विलोपित किया जावे।

(द) यह कि वर्तमान जमाबन्दी ग्राम बनाकिया कलां के खाता संख्या 268 पर दर्ज आराजी नम्बर 1154 रकबा 0.01 है0 एवं 1155 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 रकबा 0.09 है0, भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 3, 14, 15 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 जो मुतबन्ना गुलाब जी से उल्लेख है 1/2 हक हिस्से में वादी एवं स्व0 बद्रीलाल जी के वारिसान (प्रतिवादी संख्या–2 से लगायत प्रतिवादी संख्या–10) दर्ज रेकार्ड वादपत्र है उन्हे एवं स्व. जगन्नाथ का नाम अंकित कर रखा है यह दोनो ही इन्द्राज सही नहीं है। क्योंकि भेरूलाल प्रतिवादी संख्या–1 को वादी के साथ स्व. उदयराम जी के वारिसान के रूप में अंकित करने व जगन्नाथ नामक व्यक्ति की अस्तित्व कायमी को विलोपित किया जाना आवश्यक हो गया है (जिसके वारिस प्रति0 सं0 11 व 12 है) क्योंकि जगन्नाथ नामक व्यक्ति बाल्यावस्था में लगभग 90 वर्ष पूर्व रतलाम मध्यप्रदेश गोद चला गया और श्री कालुराम की जायदाद का मालिक हुआ है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या–11. 12 के पिता होकर श्री कालुराम के दत्तक पुत्र के रूप में रिकॉर्ड में मौजुद है वादी इस 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्से से स्व. बद्रीलाल के वारीसान 1/3 हक हिस्से से दर्ज रेकार्ड बनाने की अधिकारी है।

5. यह कि न तो प्रतिवादी संख्या–1 रेवेन्यु रेकार्ड के आधार पर सजरे में उल्लेखित उदयराम जी का वारिस होने का क्लेम कर सकता है। वह वर्तमान इन्द्राज दुषित गलत इन्द्राज को रेकार्ड में कायम रख सकता है। भैरूलाल मुतबन्ना गुलाब के खाते वाली भूमि उसके नाम दर्ज रेकॉर्ड है। जगन्नाथ दर्ज व्यक्ति रतलाम का निवासी होकर के यहां गोद नवीस होकर समस्त जायदाद का उपयोग उपभोग गोद पुत्र की हैसियत से करते हुए दिनांक 22.15.1995 को रतलाम में ही मृत्यु हो गयी है। समर्थन मे शपथ पत्र की छाया प्रति व सम्बन्धित दस्तावेजात मय सूची दस्तावेजात के साथ वादपत्र पेश है।

6. यह कि वादपत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित परिशिष्ठ अ, ब, स, द वाली कृषि भूमियॉ पारिवारिक सजरे की रोशनी में वादी स्व. उदयराम पिता केला जी का वारिस होने से उपर वर्णित परिशिष्ठ अ. ब, स, द वाली कृषि भूमि का खातेदारी कृषक घोषित कराये जाने हेतु घोषणात्मक डिक्री का वादपत्र पेश है।

7. यह कि वर्तमान इन्द्राज प्रतिवादी संख्या–1 एवं स्व. जगन्नाथ (प्रतिवादी सं. 11 शांतिलाल, सं. 12 रमेशचन्द्र) के नाम दर्ज सह कृषक वाला पूर्णतः इन्द्राज खातेदारी त्रुटिपूर्ण बनावटी होने से उसे विलोपित किया जाकर उक्त दोनो नॉमित दर्ज सह कृषको का नाम जमाबन्दी से विलुप्त किया जाने एवं वादी को उक्त हिस्से समेत सह कृषक दर्ज कराये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती के लिये वादपत्र पेश है।

8. यह कि खातेदारी इन्द्राज में हिस्सा [illegible] संशोधन से घोषणात्मक डिक्री को शेयरशीप के पश्चात भी वादी प्रतिवादीगण के [illegible] दर्ज नही रहना चाहता है। संयुक्त खातेदारी वाली इन खातो की भूमि का [illegible] कराया जाकर कब्जानुरूप ही रेवेन्यु रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 एवं 16 से 20 के हक हिस्से की भूमि दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेकार्ड की जावे, इस हेतु घोषणा के साथ साथ बंटवाडा आराजीयात करा अलग अलग खाते दर्ज हेतु यह वादपत्र पेश है।

9. यह कि प्रतिवादी संख्या–1 वादपत्र की चरण संख्या–3 के परिशिष्ठ अ, ब, द खाते वाली कृषि भूमि में अपनी खातेदारी का हवाला देकर वादी के कब्जे काश्त में अकारण कब्जे सम्बन्धी विवाद करने लगा है। प्रतिवादी संख्या–11 व 12 जो पूर्व में ही जानकारी प्राप्त कर चुके है कि उनके पिता बाल्यावस्था में रतलाम गोद नशीन हो समस्त चल सम्पतिया के मालिक बने है। मृत्यु भी गोद वाले मकान रतलाम शहर में ही हुई है फिर भी गलत इन्द्राज का सुत्र ढुंढकर वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत् लोगो से सोदेबाजी की धमकियां वादी को देने लगे है इसलिये प्रतिवादीगण को वादी के वैध निहित सेटल्ड कब्जा काश्त में किसी प्रकार का विघ्न न करें करावे इस हेतु निषेधाज्ञा से उन्हे प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक होने से निषेधात्मक निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश है।

10. यह कि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अवयस्क होकर उनकी माता बविलायत में परवरिश पा रहे है इसलिए प्राकृतिक वली के रूप में अंकित किये जा रहे है।

11. यह कि बिनाय दावा प्रथमतः राजस्व जमाबन्दी रेकार्ड बनाकिया कलां में एक ही खाते में प्रतिवादी संख्या 1 की दो अलग अलग केपीसीटी वाली खातेदारी इन्द्राज कायम रहने से वादी को जानकारी से दिनांक 13.03.2015 को पैदा होता है। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पिता जगन्नाथ का नाम भी गलत अंकित रह जाने से दिनांक 24.04.2015 को रेकार्ड की प्रति से वाद कारण पैदा होकर बंटवाडा हेतु प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.06.2015 को इन्कार कर देने से निरन्तर पैदा होता रहा है जो जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि– पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की चरण संख्या 3 में उल्लेखित कृषि भूमि वाके बनाकिया कला परिशिष्ठ अ, ब, स, द सामलाती में वाद माफिक हक हिस्सा वादी के खातेदारी घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावे। एवं सभी खातों में प्रतिवादी संख्या 1, 11 व 12 का नाम गोद जाने से विलुप्त किया जाकर उनका समस्त हिस्सा वादी के नाम दर्ज घोषित किया जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

–पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माफिक घोषणात्मक आज्ञप्ति वर्तमान राजस्व इन्द्राज की दुरूस्ती की जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

– पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण परिशिष्ठ अ, ब, स, द वाले खाते मे वादी को हिस्सानुसार सह कृषक कायम रखाते हुए परिशिष्ठ अ, ब, स, द वाली भूमि का बंटवाडा हक हिस्सानुसार वादी एवं शेष प्रतिवादीगण के मध्य किये जाने की बटवाडा की डिक्री प्रदान की जावे। खाते अलग अलग दर्ज किये जावे।

–पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि के किसी भी वादी के हिस्से पर प्रतिवादीगण कब्जे सम्बन्धी दस्तन्दाजी न करे, करावे इस आशय की निषेधात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 16.11.2015 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। व प्रतिवादी संख्या 4, 12 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 20.04.2017 को एक तरफा कार्यवाही की गयी तथा प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध दिनांक 07.02.2023 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में वादी हीरालाल पिता उदयराम जाति ब्राहम्ण सुखवाल ने शपथ [redacted] प्रस्तुत किया। व वाद पत्र के समर्थन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

निम्न दस्तावेज प्रदर्श कराये– नकल जमाबन्दी खाता संख्या 313 जो **प्रदर्श–1** है। जमाबन्दी खाता संख्या 312 **प्रदर्श–2**, जमाबन्दी खाता संख्या 271 **प्रदर्श–3**, जमाबन्दी खाता संख्या 356 **प्रदर्श–4** है। खाता संख्या 313 जिसके वर्तमान खाता संख्या 307 जो **प्रदर्श–5**, खाता संख्या 312 जिसके वर्तमान नं0 306 जो **प्रदर्श 6** है। खाता संख्या 271 के वर्तमान खाता संख्या 268 जो **प्रदर्श–7** है। खाता संख्या 356 के वर्तमान खाता संख्या 353 जो **प्रदर्श–8** है। रजिस्टर्ड गोदनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रदर्श–9**, असल मृत्यु प्रमाण पत्र जगन्नाथ पिता कालूराम का जो **प्रदर्श–10** है। नगरपालिका निगम रतलाम द्वारा किये गये भवन नामान्तरण जो **प्रदर्श–11** है। नकल निर्णय सिविल न्यायायिक मजिस्ट्रेट कपासन के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्रदर्श–12** है। नकल नामान्तरण 03/12/1997 **प्रदर्श 13**, नकल जमाबन्दी संवंत् 2068–71 खाता संख्या 310 **प्रदर्श–14**, नकल जमाबन्दी मेवाड बन्दोबस्त ठि0 भिन्डर **प्रदर्श–15**, नकल जमाबन्दी स. 2012–15 ग्राम बनाकिया कलां **प्रदर्श–16** है।

उक्त प्रकरण में वादी हीरालाल की ओर से लिखित बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत की गयी–

1. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र में एक वाद पत्र में वर्णित आराजीयात बाबत् खातेदारी घोषणा इन्द्राज परिसूद्दी एवं बटवाडा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल, गुलाब के गोद चला गया है तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पिता जगन्नाथ जी कालुराम निवासी रतलाम के गोद चला गया है जिस पर वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 11 , 12 के हक हिस्से पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 11, 12 के पिताजी गोद चले जाने पर भी उनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से वादी को अपने नाम पर खातेदारी घोषणा कराने हेतु वाद पत्र पेश करना आवश्यक होने से वाद पत्र पेश किया गया है जो कि दर्ज होकर नोटिस जारी किये गये है। दौराने तामिल एवं जवाब हेतु कोई उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय होकर वादी की साक्ष्य में निर्णित किया गया है। विगत पेशी पर स्वयं वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ तथा वादी की ओर से 16 दस्तावेज प्रदर्श कराये गये परन्तु प्रतिवादीगण बराबर अनुपस्थित रहे।

**प्रकरण के तथ्य व लिखित बहस–**

1. यह कि वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 भेरूलाल पिता उदयराम मुतबन्ना गुलाब जी जाति ब्राहम्ण जो वादी का भाई है जो गुलाब जी ब्राहम्ण के गोद चला गया है जिसका रजिस्टर्ड गोद नामा प्रदर्श 9 है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है तब से ही वादी भेरूलाल के हक हिस्से व काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 भेरूलाल का नाम जमाबन्दी में चला आ रहा है जो विलोपित किया जाकर वादी के नाम पर प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा वादी के खातेदारी घोषणा की जाना आवश्यक है तथा प्रदर्श 13 व 14 नामान्तरकरण व जमाबन्दी है जिसमें गुलाब का नामान्तरकरण भेरूलाल के नाम किया गया है। प्रदर्श –9 व 13, 14 के आधार पर भेरूलाल का नाम विलोपित करने हेतु इस वाद में चुनौती दी गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:13 IST
Reason: Self-Attested

2. यह कि इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 11 व 12 शान्तिलाल व रमेशचन्द्र के हक हिस्से पर भी वादी की काबिज होकर उपयोग एवं कब्जेकाश्त करता चला आ रहा है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पिताजी श्री जगन्नाथ जी अपने बाल्यकाल से ही स्व. कालुराम जी निवासी रतलाम (म.प्र.) के गोद चले जाने से ही प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पिता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र व कार्यालय नगर पालिका निगम, रतलाम का नामान्तरकरण संलग्न है जो प्रदर्श 10 व 11 है, उनका हक व हिस्सा भी वादी के कब्जे काश्त में होने से वादी के नाम पर खातेदारी घोषणा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 11 ने वादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कपासन द्वारा शान्तिलाल के पिता के गोद चले जाने से जगन्नाथ व शान्तिलाल, रमेशचन्द्र का कभी कब्जा नहीं रहा है। इस आधार पर हीरालाल के पक्ष में निर्णय किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी में संलग्न है जो प्रदर्श–12 है। जिससे प्रतिवादीगण पाबन्द है।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादीगण का न तो कोई जवाब दावा है और न ही कोई उजर ऐतराज है इसलिये वाद पत्र वादी के पक्ष में डिक्री किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी प्रकार वादी ने खाता जमाबन्दी प्रस्तुत की जो प्रदर्श 1 से प्रदर्श 8 है और इसी अनुसार रेवेन्यु रेकार्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार वादी ने अपना वाद पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजों से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है तथा वाद पत्र एक पक्षीय होने से विधि के अनुसार वादी के पक्ष में डिक्री ही किया जाना चाहिए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः श्रीमान् से निवदेन है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 भेरूलाल व प्रतिवादी संख्या 11 शान्तिलाल व प्रतिवादी संख्या 12 रमेशचन्द्र व जगन्नाथ जो प्रतिवादी संख्या 11, 12 के पिता है के हक हिस्से पर वादी उनके गोद चले जाने से ग्राम बनाकिया कलां पंचायत समिति व तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजी नम्बर 149, 150, 151, 1147, 1148, 1153, 1161, 3389, 3390, 3393, 3394, 3395, 3396, 3398, 3399, 1149 किता 16 कुल रकबा 2.56 व परिशिष्ठ ब में वर्णित आराजी नम्बर 3401, 3424, 3428, 3441, 3442, 3443, 3464, 3705/1344 कुल किता 8 कुल रकबा 2.25 हैक्ट0, परिशिष्ठ स में वर्णित आराजी नम्बर 1154, 1155 किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्ट0, परिशिष्ठ द में वर्णित आराजी नम्बर 2793, 2794, 2795, 2826, 2827, 2828, 2829 कुल कुल किता 7 कुल रकबा 1. 00 हैक्ट0 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है इसलिये वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज एवं उक्त जमाबन्दी में से प्रतिवादी संख्या 1 भेरूलाल व प्रतिवादी संख्या 11 शान्तिलाल व प्रतिवादी संख्या 12 रमेशचन्द्र व जगन्नाथ का नाम विलोपित किया जाकर उनका सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के नाम खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किये जाने की डिक्री फरमायी जावे एवं वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि परिशिष्ठ अ, ब, स, द वाले खाते में प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से पर किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested

दखलन्दाजी न स्वयं करे न अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमायी जावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। लिखित बहस का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड गोदनामा प्रदर्श–9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भैरूलाल पिता उदयलाल जाति ब्राहम्ण जो कि वादी का भाई है व गुलाबचन्द ब्राहम्ण के गोद चला गया है। प्रदर्श–13 व प्रदर्श–14 नामान्तरकरण व जमाबन्दी है जिसमें गुलाब जी का नामान्तरकरण भैरूलाल जी के नाम किया है। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पिताजी श्री जगन्नाथ जी अपने बाल्यकाल से ही स्व0 कालुराम जी निवासी रतलाम के गोद चले गये थे। जगन्नाथ जी के वारिस प्रतिवादी संख्या 11 व 12 है। जगन्नाथ जी की मृत्यु हो चुकी है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–10 है। प्रदर्श–11 कार्यालय नगरपालिका निगम रतलाम, मध्यप्रदेश के भवन नामान्तरण की प्रति से यह स्पष्ट होता है कि जगन्नाथ जी, कालूराम जी रतलाम के गोद चला गया है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने के उपरान्त भी ना तो स्वयं हाजिर हुए ना उनके ओर से कोई प्लीडर/अधिवक्ता ने हाजिर होकर ना तो कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया ना ही कोई उजर ऐतराज प्रस्तुत किया है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों को ही आधार मानकर वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से तथा वकील वादी द्वारा निवेदन कर उक्त वाद पत्र में अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट0 की दाद नहीं चाहकर केवल मात्र 88 आर0टी0एक्ट0 की दाद चाहने से स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 तक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि ग्राम बनाकिया कला पटवार हल्का बनाकिया कलां के आराजी संख्या 149, 150, 151, 1147, 1148, 1149, 1153, 1161, 3389, 3390, 3393, 3394, 3395, 3396, 3398, 3399 कुल किता 16 कुल रकबा 2.56 हैक्ट0 में दर्ज जगन्नाथ पुत्र केला 1/3 जाति ब्राहम्ण व भैरूलाल पुत्र उदेराम 1/6 जाति ब्राहम्ण के बजाय हीरालाल पुत्र उदेराम जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। व ग्राम बनाकिया कला पटवार हल्का बनाकिया कलां के आराजी संख्या 3401, 3424, 3428, 3441, 3442, 3443, 3464, 3705/1344 कुल किता 8 कुल रकबा 2.25 हैक्ट0 में दर्ज भैरूलाल पुत्र उदेराम 1/4 जाति ब्राहम्ण के बजाय हीरालाल पुत्र उदेराम जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। व ग्राम बनाकिया कला पटवार हल्का बनाकिया कलां के आराजी संख्या 1154 व 1155 कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्ट0 में दर्ज भैरूलाल पुत्र उदा 1/8 जाति ब्राहम्ण, रमेश पुत्र जगन्नाथ 1/16 जाति ब्राहम्ण, शांतिलाल पुत्र जगन्नाथ 1/16 जाति ब्राहम्ण के बजाय हीरालाल पुत्र उदेराम जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। व ग्राम बनाकिया कला पटवार हल्का बनाकिया कलां के आराजी नम्बर 2793, 2794, 2795, 2826, 2827, 2828, 2829 कुल किता 7 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर में दर्ज भैरूलाल पुत्र उदेराम 1/6 जाति ब्राहम्ण के बजाय हीरालाल पुत्र उदेराम जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष बदस्तुर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:13 IST
Reason: SelfAttested